خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی-فارسی یونیورسٹی، لکھنؤ

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, Lucknow

दिनांक 20–11–2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे आहूत
कार्यपरिषद की 12वीं बैठक की उपस्थिति।

क्रम	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1.	प्रो0 शाहरुख मिर्जा, मा0 कुलपति/मा0 अध्यक्ष	
2.	श्री अमित गुप्ता, मा0 सदस्य।	
3.	प्रो0 मसऊद आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग, मा0 सदस्य	
4.	डॉ0 एहतेशाम अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, मा0 सदस्य	
5.	प्रो0 सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग, मा0 सदस्य	
6.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, मा0 सदस्य	
7.	डॉ0 फखरे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर , उर्दू विभाग, मा0 सदस्य	
8.	डॉ0 सौबान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर , उर्दू विभाग, मा0 सदस्य	
9.	डॉ0 अब्दुल हफीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी विभाग, मा0 सदस्य	20/11/18
10.	डॉ0 प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, मा0 सदस्य	20/11/18.
11.	श्री महेन्द्र कमुार भट्ट, वित्त अधिकारी, विशिष्ट आमंत्रित	20/11/18
12.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव– सदस्य सचिव	20/11/18.

(39)

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 12वीं बैठक दिनांक 20–11–2018 का कार्यवृत्त।

पत्रांक : 1285-A/उअफ़ाविवि/कुसका/19/10/2018 दिनांक 22/11/2018

उपस्थित :		
1.	प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, मा0 कुलपति	मा0 अध्यक्ष
2.	श्री अमित गुप्ता (उ0प्र0 सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
3.	प्रो0 मसऊद आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	सदस्य
4.	प्रो0 सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	सदस्य
5.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	सदस्य
6.	डॉ0 फखरे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर , उर्दू विभाग।	सदस्य
7.	डॉ0 सौबान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर , उर्दू विभाग।	सदस्य
8.	डॉ0 अब्दुल हफीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी विभाग।	सदस्य
9.	डॉ0 प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग।	सदस्य
10.	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट, वित्त अधिकारी।	सदस्य
11.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव	कुलसचिव / पदेन सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के माननीय अध्यक्ष / माननीय कुलपति व सभी सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार कार्यपरिषद के बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यवाही

बिन्दु संख्या–1

कार्यपरिषद की 11वीं बैठक दिनांक 27–08–2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने दिनांक 27–08–2018 को सम्पन्न हुई अपनी 11वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Urdu, Arabi-Farsi University
Lucknow

कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

(392)

बिन्दु संख्या–2

विद्यापरिषद की चौथी बैठक दिनांक 27–08–2018 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विद्यापरिषद की चौथी बैठक दिनांक 27–08–2018 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–3

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनानुदानित/स्वावित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं में संशोधन के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–772/सत्तर–1–2018–16(123)/2015 दिनांक 19–09–2018 पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनानुदानित/स्वावित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं में संशोधन के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–772/सत्तर–1–2018–16(123)/2015 दिनांक 19–09–2018 पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–4

शासन के पत्र संख्या–266/सत्तर–1–2018–16(74)/2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यलयों मे लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–683/सत्तर–1–2015–16(74)/2011 दिनांक 28–08–2015 पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने शासन के पत्र संख्या–266/सत्तर–1–2018–16(74)/2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यलयों मे लागू किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

Lucknow

चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–5

विश्वविद्यालय में शोध कार्य/पी0एच0डी0 प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में शोध कार्य/पी0एच0डी0 प्रारम्भ किये जाने तथा शासन के पत्र संख्या–266/सत्तर–1–2018–16(74)/2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों में एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को यथावत् लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से विचार–विमर्श के उपरान्त सहमति प्रदान की गयी। उपरोक्त के क्रम में विश्वविद्यालय का पी0एच–डी0 अध्यादेश सर्वसम्मति से पारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में शोध कार्य/पी0एच–डी0 की कुल सीटों में 50 प्रतिशत सीट पर **प्रवेश–परीक्षा** कराकर, प्रवेश लिये जाने पर सहमति प्रदान की। साथ ही **प्रवेश–परीक्षा** में **90 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा (50 प्रतिशत शोध पद्धति तथा 50 प्रतिशत विभागीय विषय के प्रश्न) होंगे** हेतु तथा **10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार** हेतु निर्धारित किये गये। किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम दो विषय में ही (अन्तः विषय सहित inter disciplinary) प्रवेश परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रवेश परीक्षा में साक्षात्कार सहित 50 प्रतिशत अंक अर्ह अंक होंगे। प्रवेश व प्रवेश परीक्षा में शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

विश्वविद्यालय में जिन स्थायी शिक्षकों का सेवाकाल 05 वर्ष पूर्ण हो चुका है। वे भी निर्धारित मानकों व नियमानुसार शोध कार्य/पी0एच–डी0 करने के लिए अर्ह होंगे। इस सन्दर्भ में विद्यापरिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अग्रिम कार्यवाही/निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–6

विश्वविद्यालय में आकस्मिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त आवास होने की दशा में आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी शर्तों/नियमों पर विचार व अनुमोदन।

कुलपति

(305)

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में आकस्मिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त आवास होने की दशा में आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी शर्तों/नियमों पर अनुमोदन प्रदान किया।

वाह्य सेवाप्रदाता के माध्यम से विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को, विश्वविद्यालय में आवास रिक्त होने की दशा में उपरोक्त शर्तों एवं नियमों के अधीन आवास दिये जाने की स्वीकृति कार्यपरिषद ने प्रदान की। यदि किसी वाह्य सेवाप्रदाता कर्मचारी को आवासीय सुविधा की आवश्यकता होती है तो उसे अपने फर्म/संस्था के माध्यम से आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा।

साथ ही कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों हेतु आवासीय सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में, अग्रिम निर्णय लिये जाने तक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के नियम व शर्तों को स्वीकार किया।

बिन्दु संख्या–7

कुलपति आवास एवं कुलपति कैम्प कार्यालय हेतु नियमानुसार अधिकृत स्टाफ को उपलब्ध कराने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने कुलपति आवास एवं कुलपति कैम्प कार्यालय हेतु नियमानुसार अधिकृत स्टाफ को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–8

विश्वविद्यालय छात्रावास में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये जाने के सम्बन्धी शर्तों/नियमों पर विचार व अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय छात्रावास में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये जाने के सम्बन्धी शर्तों/नियमों पर छात्रावास के नियम संख्या–7 को निम्नानुसार संशोधन करते हुए– *"छात्रावासों में यदि किसी बाहरी छात्र अथवा परिवार के सदस्य को प्रवेश देना हो तो इसकी अनुमति छात्र को लिखित रूप में सम्बन्धित वार्डेन से लेना अनिवार्य होगा। वार्डेन द्वारा इसकी सूचना कुलसचिव कार्यालय को भेजी जायेगी।"* अन्य समस्त बन्दिुओं पर यथावत् अनुमोदन प्रदान किया।

Registrar ... Chishti ... University Lucknow

कुलपति ... चिश्ती ... विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–9

श्रीमती रूचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के दिनांक 23.03.2018 से दिनांक 18.09.2018 तक (कुल 180 दिन) के मातृत्व अवकाश एवं श्रीमती दोआ नक्वी, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यवसाय एवं प्रबन्धन विभाग के दिनांक 10.05.2018 से 05.11.2018 तक (कुल 180 दिन) के मातृत्व अवकाश एवं डॉ0 तनु डंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के दिनांक 12–11–2018 से दिनांक 12–04–2019 (कुल 150 दिन) के बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने श्रीमती रूचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के दिनांक 23–03–2018 से दिनांक 18–09–2018 तक (कुल 180 दिन) के स्थान पर श्रीमती रूचिता सुजय चौधरी के अनुरोध पर **दिनांक 24–03–2018 से दिनांक 19–09–2018 तक (कुल 180 दिन)** के मातृत्व अवकाश एवं श्रीमती दोआ नक्वी, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यवसाय एवं प्रबन्धन विभाग के **दिनांक 10–05–2018 से 05–11–2018 तक (कुल 180 दिन)** के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की एवं डॉ0 तनु डंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के दिनांक 12–11–2018 से दिनांक 12–04–2019 (कुल 150 दिन) के स्थान पर डॉ0 तनु डंग के अनुरोध पर **दिनांक 10–12–2018 से दिनांक 09–05–2019 (कुल 150 दिन)** के बाल्य देखभाल अवकाश पर सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–10

विश्वविद्यालय में भारतीय एवं विदेशी भाषाओं को प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में नई भारतीय और नई विदेशी भाषाओं के संचालन के प्रस्ताव को सहर्ष अनुमोदित किया तथा शासन को तद्‌नुसार प्रस्ताव भेजे जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि **नई भारतीय भाषाओं** के अन्तर्गत **संस्कृत भाषा** तथा **पाली व प्राकृत भाषा** और **नई विदेशी भाषाओं** में **फ्रेन्च, जर्मन, स्पैनिश, मेनडारिन (चाईनीज़), जापानी** एवं **हिब्रू** व **टर्किस** से सम्बन्धित विभागों के गठन एवं पाठ्यक्रम संचालन की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन को विश्वविद्यालय में

(397)

शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन का प्रस्ताव दिनांक 13–06–2018 को भेजा जा चुका है, परन्तु शासन से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए माननीय कुलपति महोदय को अग्रिम कार्यवाही / निर्णय / पत्राचार हेतु अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–11

पी–एच0डी0 उपाधि की तिथि के निर्धारण पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने कुलपति समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित अपर मुख्य सचिव, माननीय श्री राज्यपाल / कुलाधिपति जी, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ के पत्र संख्या ई–7569 / 32–जी0एस0 / 2018–V, दिनांक 31–10–2018 द्वारा पी–एच0डी0 उपाधि की तिथि के निर्धारण में एकरूपता के सम्बन्ध में विचार–विमार्श किया। उसके उपरान्त कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में पी–एच0डी0 उपाधि की तिथि निर्धारण पर सहमति व्यक्त की।

बिन्दु संख्या–12

विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत् श्री शबीह हैदर के स्थायीकरण पर विचार एवं उनके 05 वर्ष पूरे होने पर उनकी पदोन्नति पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत् श्री शबीह हैदर के स्थायीकरण पर विचार एवं उनके 05 वर्ष पूरे होने पर उनकी पदोन्नति पर विचार किया तथा नियमानुसार स्थायीकरण किये जाने एवं पदोन्नति प्रदान किये जाने पर सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–13

अन्य बिन्दु– माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या–13.1

प्रदेश एवं अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय में परीक्षा केन्द्र स्थापित कराने के सम्बन्ध में।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Urdu, Arabi-Farsi University
Lucknow

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

(397)

निर्णय–

कार्यपरिषद ने प्रदेश एवं अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय में परीक्षा केन्द्र स्थापित कराने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–13.2

परीक्षा समिति के गठन की कार्योत्तर स्वीकृति।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने परीक्षा समिति के गठन की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–13.3

विश्वविद्यालय के विधिक परामर्शी नामित करने की कार्योत्तर स्वीकृति।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के विधिक परामर्शी नामित करने की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–13.4

शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों हेतु लैपटॉप को क्रय करने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों हेतु लैपटॉप को क्रय करने के सम्बन्ध में **लेटेस्ट टेक्नोलॉजी (आई–7) का लैपटॉप** लिये जाने पर सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–13.5

डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग के दिनांक 01–01–2019 से 31–03–2019 तक (कुल 90 दिन) के बाल्य देखभाल अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग के दिनांक 01–01–2019 से 31–03–2019 तक (कुल 90 दिन) के बाल्य देखभाल अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Urdu, Arabi-Farsi University
Lucknow

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
...विश्वविद्यालय, लखनऊ

(398)

बिन्दु संख्या–13.6

विद्यापरिषद की 5वीं बैठक दिनांक 14–11–2018 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विद्यापरिषद की 5वीं बैठक दिनांक 14–11–2018 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–13.7

कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों द्वारा पुरानी सेवाओं को जोड़े जाने से सम्बन्धित आवेदन पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के जिन असिस्टेंट प्रोफेसरों को अपनी पुरानी सेवाएं जोड़ने हेतु आवेदन दिया जाना हो, वे अपने आवेदन में नियमों/शासनादेशों/परिनियमों आदि का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन कुलसचिव कार्यालय में दे सकते हैं। इन आवेदनों पर विधिक परीक्षणोंपरान्त आख्या प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को समिति गठित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया। गठित समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात् उसे कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा नियमानुसार अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

बिन्दु संख्या–13.8

विश्वविद्यालय में गाँव की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले अस्थायी मार्ग पर छात्र–छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के दृष्टिगत तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण के समुचित विकास हेतु गेट लगाये जाने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में गाँव की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले अस्थायी मार्ग पर छात्र–छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के दृष्टिगत तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण के समुचित विकास हेतु गेट लगाये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Urdu, Arabi-Farsi University
Lucknow

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

399

बिन्दु संख्या–13.9

विश्वविद्यालय शिक्षकों को नये वेतनमान के अनुसार वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को नये वेतनमान के अनुसार वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–13.10

विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक कार्यों हेतु तथा शिक्षक/छात्र/कर्मचारी हित में बस क्रय किये जाने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक कार्यों हेतु तथा शिक्षकों/छात्रों/कर्मचारियों के हित में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/अन्य मद से शासन से अनुमोदनोंपरान्त बस क्रय किये जाने पर सहमति प्रदान की।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

22/11/18

(शत्रोहन वैश्य)
कुल सचिव/सचिव कार्यपरिषद।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Urdu, Arabic Farsi University
Lucknow

(प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा)
कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ